



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक. 6342/एनआर-1/NREGS-MP/2010

भोपाल, दिनांक 26/06/10

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषय- प्रशासनिक व्यय के संबंध में अनुदेश।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 5844/वित्त एवं लेखा/एनआर4/एनआरईजीएस एम.
पी./ 2010, भोपाल दिनांक 8/06/2010

...00..

विषयान्तर्गत संदर्भ में प्रशासनिक व्यय के संबंध में आपको आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। स्कीम के सफल संचालन एवं मैदानी कार्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संदर्भित पत्र की कण्डिका 3.21. के बिन्दु 1 एवं 2 पर दर्शित प्रतिमाह वाहन चालन की सीमा में 500 कि.मी. की वृद्धि की जा रही है। यह निर्देश माह 01 जुलाई 2010 से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे तथा इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार रहेगी।

(1) जिला स्तर पर

अधिकारी का नाम	रिमांक		
	ऐसे जिले जहाँ 6 या 6 से कम ब्लॉक है	ऐसे जिले जहाँ 6 से अधिक ब्लॉक है	
	अनुमत वाहन चालन सीमा प्रतिमाह		
जिला स्तर पर			
कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक	2000 कि.मी.	2500 कि.मी.	
मुख्य कार्यक्रम अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	2000 कि.मी.	2500 कि.मी.	
कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	2000 कि.मी.	2500 कि.मी.	
परियोजना अधिकारी प्रशासन (प्रभारी अधिकारी) पूल वाहन	2200 कि.मी.	2700 कि.मी.	संबंधित प्रभारी अधिकारी स्कीम से संबंधित अन्य अधिकारियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करायेगे।


निर...

(2) जनपद स्तर पर

	अनुमत्य वाहन चालन सामा प्रतिमाह	
कार्यक्रम अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) पूल वाहन	2200 कि.मी.	संबंधित प्रभारी अधिकारी स्कीम से संबंधित अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करायेगे।
सहायक यंत्री (प्रभारी अधिकारी) पूल वाहन	2200 कि.मी.	संबंधित अधिकारी उपयंत्री एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करायेगे। यह वाहन जिन जनपदों में 50 से कम ग्राम पंचायतें हैं उनके बीच में 15-15 दिवस के लिए उपलब्ध रहेंगी।

शेष समस्त सभी निर्देश यथावत रहेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि वाहन चालन सीमाओं पर नियंत्रण रहे एवं शासकीय कार्य हेतु ही अत्यंत मितव्ययता एवं औचित्य के साथ इनका उपयोग किया जाए। कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक इस संबंध में निरंतर समीक्षा करते रहेंगे।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेशित)


26.6.10

(डॉ. राजीव सक्सेना)


संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल

पृ. क्रमांक. 6343 / एनआर-1 / NREGS-MP / 2010

भोपाल, दिनांक 26/06/10

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


26.6.10

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल